[2022] 9 एस. सी. आर 634

एस. पी. मणि और मोहन डेरी

वी.

DR.SNEHALATHA ELANGOVAN

(2022 की आपराधिक अपील संख्या 1586)

16 सितंबर, 2022

[सूर्या कान्ट और जे. बी. पारदीवाला, जे. जे.]

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 138 और 141-साझेदारी फर्म-चेक अपमान मामला-का प्रत्यावर्ती दायित्व

भागीदार-आयोजितः बोझ निदेशक मंडल या कंपनी के मामलों के प्रभारी अधिकारियों या किसी फर्म के भागीदारों पर यह दिखाने के लिए होता है कि वे दोषी ठहराए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं थे-किसी भी विशेष परिस्थिति का अस्तित्व जो उन्हें उत्तरदायी नहीं बनाता है, वह कुछ ऐसा है जो

विशेष रूप से उनके ज्ञान के भीतर और यह उनके लिए है कि वे मुकदमे में यह साबित करें कि प्रासंगिक समय पर वे कंपनी या फर्म के मामलों के प्रभारी नहीं थे-आपराधिक दायित्व आकर्षित होता है

केवल उन लोगों पर, जो अपराध करने के समय, फर्म के व्यवसाय के प्रभारी थे और उसके संचालन के लिए जिम्मेदार थे-लेकिन किसी फर्म के भागीदारों के खिलाफ प्रत्यावर्ती आपराधिक दायित्व का अनुमान तब लगाया जा सकता है जब यह विशेष रूप से फर्म के भागीदारों की स्थिति के बारे में शिकायत में कहा जाता है-इससे वे अभियोजन का सामना करने के लिए उत्तरदायी हो जाएंगे, लेकिन इससे स्वतः दोषसिद्धि नहीं होती है-इसलिए, यदि वे अंततः दोषी नहीं पाए जाते हैं, तो वे प्रतिकूल पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं होते हैं, क्योंकि इसके एक आवश्यक परिणाम के रूप में उन्हें बरी कर दिया जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973। 482 - परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881। 138 और 141-साझेदारी फर्म-चेक

फर्म के निदेशक/भागीदार के खिलाफ अपमान का मामला-उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप s.482 सी. आर. पी. सी.-दायरा-आयोजितः उच्च न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। s.482 किसी अभियुक्त के कहने पर सी. आर. पी. सी. जब तक कि उसे कुछ निर्विवाद और निर्विवाद साक्ष्य न मिले।

यह इंगित करने के लिए कि किसी फर्म का निदेशक/भागीदार चेक जारी करने से संबंधित नहीं हो सकता था-किसी दिए गए मामले में बुनियादी कथनों की उपस्थिति के बावजूद, उच्च न्यायालय यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि

विशेष निदेशक/भागीदार के खिलाफ कोई मामला नहीं बनाया जाता है बशर्ते निदेशक/भागीदार संदेह और संदेह से परे कुछ निर्विवाद और निर्विवाद साक्ष्य प्रस्तुत करने में सक्षम हो-यदि कोई हो।

फर्म का एक भागीदार-प्रतिवादी द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया-अपीलार्थी-शिकायतकर्ता द्वारा उसे दिए गए वैधानिक नोटिस का आरोपी-प्रभाव-आयोजितः यह उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है जिसे वैधानिक नोटिस जारी किया जाता है। s.138 उचित उत्तर देने के लिए-संबंधित व्यक्ति से अपने रुख को स्पष्ट करने की अपेक्षा की जाती है-यदि संबंधित व्यक्ति के पास यह स्थापित करने के लिए कुछ निर्विवाद और निर्विवाद सामग्री है कि उसकी कंपनी/फर्म के मामलों में कोई भूमिका नहीं है, तब ऐसी सामग्री को नोटिस के जवाब में एक आधार के रूप में उजागर किया जाना चाहिए-एक बार जब शिकायतकर्ता द्वारा जारी वैधानिक नोटिस में आवश्यक अभिकथन किए जाते हैं।

भागीदारों का दायित्व और इस तरह की सूचना प्राप्त होने पर, यदि भागीदार चुप रहता है और उसी के जवाब में कुछ नहीं कहता है, तो शिकायतकर्ता के पास यह मानने के सभी कारण हैं कि उसने क्या कहा है।

नोटिस में सूचना प्राप्तकर्ता द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881। 141 एस. 141 - – एस की उप-धारा (1) और (2) के बीच अंतर। 141 - चर्चा की।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1 . शिकायतकर्ता की प्राथमिक जिम्मेदारी शिकायत में विशिष्ट कथन करना है ताकि अभियुक्त परोक्ष रूप से उत्तरदायी है। आपराधिक दायित्व को मजबूत करने के लिए, शिकायतकर्ता के लिए यह दिखाने की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है कि फर्म का आरोपी भागीदार प्रत्येक लेनदेन के बारे में जानता था। दूसरी ओर, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 141 की उप-धारा (1) के पहले परंतुक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि अभियुक्त न्यायालय की संतुष्टि के लिए यह साबित करने में सक्षम है कि अपराध उसके [2022] 9 एस. सी. आर. के बिना किया गया था।

यदि वह ऐसा करता है या उसने इस तरह के अपराध को रोकने के लिए उचित परिश्रम किया है, तो वह दंड के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। [पैरा 47] [666-सी-ई]

2. शिकायतकर्ता को आम तौर पर केवल यह पता होना चाहिए कि कंपनी या फर्म के मामलों के प्रभारी कौन थे, जैसा भी मामला हो। अन्य प्रशासनिक मामले कंपनी या फर्म और इसके प्रभारी लोगों के विशेष ज्ञान के भीतर होंगे। ऐसी परिस्थितियों में, शिकायतकर्ता से यह आरोप लगाने की अपेक्षा की जाती है कि शिकायत में नामित व्यक्ति कंपनी/फर्म के मामलों के प्रभारी हैं। केवल कंपनी के निदेशक या फर्म के भागीदार, जैसा भी मामला हो, जिन्हें कंपनी में निभाई गई भूमिका के बारे में विशेष जानकारी है या किसी फर्म में भागीदारों को अदालत के समक्ष पेश करना है। कि प्रासंगिक समय पर वे कंपनी के मामलों के प्रभारी नहीं थे। एन. आई. अधिनियम की धारा 138 और धारा 141 के विज्ञापन से पता चलता है कि धारा 138 के तहत अपराध के अन्य तत्वों के संतुष्ट होने पर, निदेशक मंडल या कंपनी के मामलों के प्रभारी अधिकारियों/किसी फर्म के भागीदारों पर यह दिखाने का बोझ है कि वे दोषी ठहराए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं थे। किसी भी विशेष परिस्थिति का अस्तित्व जो उन्हें उत्तरदायी नहीं बनाता है, वह कुछ ऐसा है जो विशेष रूप से उनके ज्ञान में है और यह उनके लिए है कि वे मुकदमे में यह साबित करें कि प्रासंगिक समय पर वे कंपनी या फर्म के मामलों के प्रभारी नहीं थे। [पैरा 47] [666-ई-एच; 667-ए-बी]

3. आपराधिक दायित्व केवल उन लोगों पर आकर्षित होता है, जो अपराध के समय प्रभारी थे और थे।

फर्म के व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार। लेकिन किसी फर्म के भागीदारों के खिलाफ प्रत्यावर्ती आपराधिक दायित्व का अनुमान तब लगाया जा सकता है जब यह विशेष रूप से फर्म के भागीदारों की स्थिति के बारे में शिकायत में कहा गया हो। यह उन्हें अभियोजन का सामना करने के लिए उत्तरदायी बना देगा लेकिन यह स्वचालित रूप से नहीं होता है

दृढ़ विश्वास। इसलिए, यदि वे अंततः दोषी नहीं पाए जाते हैं, तो उनके प्रति प्रतिकूल पूर्वाग्रह नहीं होता है, क्योंकि इसके एक आवश्यक परिणाम के रूप में उन्हें बरी कर दिया जाएगा। [पैरा 47] [667-सी-डी]

4. यदि कोई निदेशक चाहता है कि फाइल करके प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाए

संहिता की धारा 482 के तहत इस आधार पर एक याचिका कि केवल एस. पी. मणि और मोहन डेरी बनाम।

DR.SNEHALATHA ELANGOVAN

शिकायत में एक गंजा बयान दिया जाता है और यह कि वह चेक जारी करने से संबंधित नहीं है, वह उच्च न्यायालय को प्रक्रिया को रद्द करने के लिए मनाने का आदेश दे सकता है और अपने तर्क को साबित करने के लिए कुछ उत्कृष्ट निर्विवाद सामग्री या वास्तविक परिस्थितियां प्रस्तुत कर सकता है। वह एक मामला बनाता है कि उसे मुकदमे में खड़ा करने से न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। [पैरा 47] [667-ई-एफ]

एन. रंगाचारी बनाम। भारती संचार निगम लिमिटेड (2007) एससी 1682: [2007] 5 एस. सी. आर. 329; अनिल हाडा बनाम। इंडियन एक्रिलिक लिमिटेड (2000) 1 एस. सी. सी. 1: [1999] 5 पूरक। एस. सी. आर. 6; मोनाबेन केतनभाई शाह बनाम गुजरात राज्य (2004) 7 एससीसी 15: [2004] 3 पूरक। एस. सी. आर. 411; के. के. आहूजा बनाम वी. के. वोरा (2009) 10 एससीसी 48: [2009] 9 एस. सी. आर. 1144; सुनीता पलिता बनाम। मेसर्स पंचमी स्टोन क्वारी

(2022) एससी ऑनलाइन एससी 945; आशुतोष अशोक

परसरामपुरिया बनाम। घरकुल इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड (2021) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 915; गुनमाला सेल्स प्रा. लिमिटेड वी. अनु मेहता और अन्य। (2015) 1 एससीसी103: [2014] 10 एस. सी. आर. 1117; रैलिस इंडिया लिमिटेड बनाम पोदुरु विद्या भूषण और अन्य। (2011)

13 एससीसी 88: [2011] 5 एस. सी. आर. 289 पर भरोसा किया। एस. एम. एस. फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड बनाम नीता भल्ला (2005) 8 एससीसी 89: [2005] 3 पूरक। एस. सी. आर. 371; राष्ट्रीय लघु उद्योग

निगम बनाम। हरमीत सिंह पेंटल और अन्र। (2010) 3 एस. सी. सी. 330 [2010] 2 एस. सी. आर. 805; सुनीता पालिका और अन्य बनाम। मेसर्स पंचमी स्टोन क्वारी (2022) एससी ऑनलाइन एससी 945; दिल्ली नगर निगम बनाम। राम किशन रोहतगी (1983) 1 एससीसी 1: [1983] 1 एससीआर 884; यू. पी.

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड v. मोदी डिस्टिलरी (1987) 3 एस. सी. सी. 684 [1987] 3 एस. सी. आर. 798; पी. राजारथिनम बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2000) 10 एस. सी. सी. 529; के. भास्करन बनाम। शंकरन वैद्यन बालन (1999) 7 एससीसी 510: [1999] 3 पूरक। एस. सी. आर. 271; सहायक आयुक्त, मूल्यांकन II बैंगलोर और अन्य। वी. वेल्लियप्पा टेक्सटाइल्स लिमिटेड और अन्य।

आकाशवाणी (2004) एससी 86: [2003] 3 पूरक। एस. सी. आर. 763; सभिता राममूर्ति बनाम। आर. बी. एस. चन्नबसवरध्य आकाशवाणी (2006)

एससी 3086: [2006] 6 पूरक। एससीआर 126; एस. के. अलघ बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2008) 5 एससीसी 662 [2008] 2 [2022] 9 एस

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एससीआर 1088; महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण

कं. लिमिटेड बनाम। दातार स्विचगियर लिमिटेड (2010) 10 एस. सी. सी. 479: [2010] 12 एससीआर 551; जीएचसीएल कर्मचारी स्टॉक विकल्प

ट्रस्ट वी। इंडिया इन्फोलाइन लिमिटेड (2013) 4 एस. सी. सी. 505: [2013]

5 एस. सी. आर. 27 संदर्भित है।

मामला कानून

संदर्भ

[2005] 3 पूरक। एससीआर 371

संदर्भित किया गया है

पैरा

12

[2014] 10 एससीआर 1117

उस पर भरोसा करें

पैरा

13

[2010] 2 एससीआर 805

संदर्भित किया गया है

पैरा

13

[1983] 1 एससीआर 884

संदर्भित किया गया है

पैरा

28

[1987] 3 एससीआर 798

संदर्भित किया गया है

पैरा

28

(2000) 10 एस. सी. सी. 529

संदर्भित किया गया है

पैरा

28

[1999] 3 पूरक। एससीआर 271

संदर्भित किया गया है

पैरा

29

[2007] 5 एससीआर 329

उस पर भरोसा करें

पैरा

30

[1999] 5 पूरक। एससीआर 6

उस पर भरोसा करें

पैरा

31

[2004] 3 पूरक। एससीआर 411

उस पर भरोसा करें

पैरा

32

[2005] 3 पूरक। एससीआर 371

संदर्भित किया गया है

पैरा

34

[2003] 3 पूरक। एससीआर 763

पैरा

35

संदर्भित किया गया है

[2006] 6 पूरक। एससीआर 126

संदर्भित किया गया है

पैरा

36

[2009] 9 एससीआर 1144

उस पर भरोसा करें

पैरा

36

[2008] 2 एससीआर 1088

पैरा

39

संदर्भित किया गया है

[2010] 12 एससीआर 551

संदर्भित किया गया है

पैरा

39

[2013] 5 एससीआर 27

संदर्भित किया गया है

पैरा

39

[2011] 5 एससीआर 289

उस पर भरोसा करें

पैरा

48

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

1586 2022 तक।

के 16.02.2021 दिनांकित निर्णय और आदेशों से

मद्रास में न्यायालय, सी. आर. एल. में। 2021 का ओ. पी. सं. 1063।

ई. आर. कुमार, मेसर्स पारेख एंड कंपनी के लिए सुश्री राघव बंसल, अपीलार्थी के लिए।

एस. पी. मणि और मोहन डेरी बनाम। DR.SNEHALATHA ELANGOVAN

सुश्री हरि प्रिया पद्मनाभन, टी. महेंद्रन, रघुनाथ सेतुपति बी., सुश्री जान्हवी धुबे, के. परी वेंधन, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

जे. बी. पारदीवाला, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. यह अपील परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत दायर शिकायत के मूल शिकायतकर्ता के कहने पर की गई है।

1881 (संक्षेप में, "एन. आई. अधिनियम") और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 (संक्षेप में, "संहिता") के तहत प्रतिवादी (अभियुक्त) द्वारा दायर 2021 की आपराधिक मूल याचिका संख्या 1063 में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16.02.2021 द्वारा पारित आदेश के खिलाफ निर्देशित किया गया है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने आवेदन की अनुमति दी और न्यायिक मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-II, इरोड की अदालत में प्रतिवादी के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।

विषय पर मामला कानून। एन. आई. अधिनियम अब तक लगभग तीन दशक पुराना है। एन. आई. अधिनियम की धारा 141 पिछले तीन दशकों से अधिक समय से कानून पर है। एन. आई. अधिनियम की धारा 141 के वास्तविक उद्देश्य को समझाते हुए इस न्यायालय और उच्च न्यायालयों के विभिन्न निर्णय हैं। हालांकि, एन. आई. अधिनियम की धारा 141 पर बहस कभी खत्म नहीं हो रही है। वर्तमान में मुकदमा भी एक ऐसा मामला है जिसमें हमें एन. आई. अधिनियम की धारा 141 पर गौर करने के लिए कहा गया है।

फैक्ट मैट्रिक्स

4. इस मामले के तथ्य स्पष्ट और सरल हैं। इसमें अपीलार्थी (मूल शिकायतकर्ता) दूध और दूध उत्पादों के व्यवसाय में लगा हुआ है। इसमें प्रतिवादी सिरा मार्केटिंग सर्विसेज के नाम से चल रही साझेदारी फर्म के भागीदारों में से एक है। फर्म ऋण के आधार पर अपीलार्थी/शिकायतकर्ता से दूध और दूध उत्पाद खरीदती थी। अपीलार्थी को रुपये की राशि की वसूली करनी होगी। 10,71, 434.60 / - (रु. दस लाख

सत्तर एक हजार चार सौ चौंतीस और साठ पैसे) साझेदारी फर्म से। फर्म ने मूल अभियुक्त संख्या 02 (भागीदार/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में रुपये की राशि के लिए विधिवत हस्ताक्षरित एक चेक जारी किया। 10,00,000 / - (रु. केवल दस लाख) दिनांकित 05.05.2017। चेक का अपमान किया गया क्योंकि पर्याप्त शेष राशि [2022] 9 एस. सी. आर. नहीं थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

फर्म द्वारा रखे गए खाते में। जल्द ही, बैंक ने अपीलार्थी को सूचित किया कि अपर्याप्तता के कारण चेक का भुगतान नहीं किया जा सका

इसमें अपीलार्थी की तुलना में निधियों ने फर्म और फर्म के दो भागीदारों को दिनांक 14-08-2017 पर एक वैधानिक सूचना जारी की। फर्म के साथ-साथ दो भागीदारों (अभियुक्त व्यक्तियों) को नोटिस देने के बावजूद अपीलार्थी को राशि का भुगतान नहीं किया गया और इसलिए, अपीलार्थी के पास न्यायिक मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रैक कोर्ट नं. II, इरोड एन. आई. अधिनियम की धारा 138 आर/डब्ल्यू 141 के तहत दंडनीय अपराध के लिए जो 2017 के एस. टी. सी. संख्या 583 के रूप में पंजीकृत हुआ। 5. प्रतिवादी (मूल अभियुक्त संख्या 03/भागीदार) ने उच्च न्यायालय में संहिता के 482 के तहत एक आवेदन को प्राथमिकता दी और प्रार्थना की कि उसके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है क्योंकि कानून के तहत उसका कोई दायित्व नहीं है। का मुख्य तर्क

इसमें केवल तभी जब शिकायत में लगाए गए आरोप एन. आई. अधिनियम की धारा 141 की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। उच्च न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि केवल शिकायत में एन. आई. अधिनियम की धारा 141 के तहत उपयोग किए गए शब्दों का पाठ करके फर्म के भागीदार पर कोई प्रत्यावर्ती दायित्व नहीं लगाया जा सकता है। 6. उपरोक्त ऐसी परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा यहां दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया और जहां तक प्रतिवादी का संबंध है, कार्यवाही को समाप्त कर दिया।

7. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी (मूल शिकायतकर्ता) वर्तमान अपील के साथ इस न्यायालय के समक्ष है।

अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुतियाँ

8. अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान वकील श्री ई. आर. कुमार ने जोरदार ढंग से कहा कि उच्च न्यायालय ने इस मामले में एक गंभीर त्रुटि की है।

के खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने वाला विवादित आदेश पारित करना

यहाँ उत्तरदाता। वह प्रस्तुत करेंगे कि जिस पूरे आधार पर उच्च न्यायालय ने कार्यवाही की, उसे कानूनी रूप से गलत कहा जा सकता है। विद्वान वकील एस. पी. मणि और मोहन डेरी बनाम को जारी किए गए वैधानिक नोटिस में यह प्रस्तुत करेगा।

इनमें नियमित रूप से देखभाल की जा रही है और फर्म के दिन-प्रतिदिन के व्यवसाय में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि एक विशिष्ट कथन है कि दायित्व का निर्वहन करने के लिए, मूल अभियुक्त संख्या 02 ने प्रतिवादी की जानकारी और सहमति के भीतर चेक जारी किया था। यह तर्क दिया जाता है कि यदि शिकायत में लगाए गए आरोप का सार एन. आई. अधिनियम की धारा 141 की आवश्यकताओं को पूरा करता है, तो शिकायत को आगे बढ़ाना है और उस पर मुकदमा चलाया जाना आवश्यक है। विद्वान सलाहकार मुखरता से तर्क दिया कि एक शिकायत का अर्थ लगाते समय न्यायालय को एक अति-तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए और उसे रद्द नहीं करना चाहिए।

9. विद्वान वकील ने आगे बताया कि शिकायत दर्ज करने से पहले एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत तीन व्यक्तिगत नोटिस जारी किए गए थे। वह प्रस्तुत करेगा कि वैधानिक नोटिस प्रतिवादी को विधिवत रूप से दिया गया था। हालांकि, प्रतिवादी ने नोटिस का कोई जवाब नहीं देना उचित समझा। यह तर्क दिया जाता है कि यदि प्रत्यर्थी को फर्म में अपनी भूमिका के संबंध में कुछ कहना होता, तो वह एक उचित जवाब दे सकती थी कि वह एक सोती हुई भागीदार है और फर्म के दिन-प्रतिदिन के मामलों में शामिल नहीं है। यह तर्क दिया जाता है कि इसमें प्रत्यर्थी अपने उत्तर में यह भी स्पष्ट कर सकती थी कि फर्म को चेक जारी होने से बहुत पहले ही भंग कर दिया गया था और ऐसी परिस्थितियों में, उस पर कोई दायित्व नहीं लगाया जा सकता था। वैधानिक नोटिस के किसी भी जवाब के अभाव में, प्रतिवादी पहले के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष बहस नहीं कर सकता था।

फर्म के मामलों में उसकी भागीदारी के बारे में समय। विद्वान वकील प्रस्तुत करेगा कि उच्च न्यायालय ने प्रारंभिक स्थिति में प्रतिवादी की ओर से प्रचार किए गए इस तरह के प्रस्तुतिकरण को स्वीकार करने में एक गंभीर त्रुटि की है।

स्टेज।

10. विद्वान वकील ने आगे कहा कि एक बार आवश्यक

शिकायत में अभिकथन किए जाते हैं, इसके बाद आरोपी पर कुछ अप्रतिरोध्य प्रस्तुत करके स्थापित करने की जिम्मेदारी होगी और

निर्विवाद साक्ष्य जो स्पष्ट रूप से इंगित कर सकते हैं कि फर्म के भागीदारों में से एक के रूप में प्रतिवादी, विचाराधीन चेक जारी करने से संबंधित नहीं हो सकता था।

11. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील प्रार्थना करता है कि उसकी अपील में योग्यता होने के कारण, [2022] 9 एस. सी. आर.

इसकी अनुमति दी जा सकती है और उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश को रद्द किया जा सकता है।

प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुतियाँः

एन. आई. अधिनियम की धारा 141 के तहत परिकल्पित फर्म। विद्वान वकील प्रस्तुत करेगा कि मामला एस. एम. एस. फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है। नीता भल्ला, (2005) 8 एस. सी. सी. 89। इस न्यायालय के उक्त निर्णय पर भरोसा करते हुए, विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि आपराधिक देयता और प्रत्यावर्ती देयता पैदा करने वाली काल्पनिक कल्पना आपराधिक कानून के सामान्य सिद्धांतों से अलग है और एक स्पष्ट मामले को स्पष्ट किया जाना चाहिए और आरोपी व्यक्ति को उसके खिलाफ कथित मामले से अवगत कराया जाना चाहिए। विद्वान वकील प्रस्तुत करेगा कि इसलिए इसके लिए इस कथन के अलावा अभिकथन की आवश्यकता होगी कि अभियुक्त कंपनी/फर्म के मामलों का प्रभारी और जिम्मेदार है।

13. समर्थन में प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील

उनकी उपरोक्त प्रस्तुतियों ने निम्नलिखित निर्णयों पर मजबूत निर्भरता रखी हैः

(i) गुनमाला सेल्स प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड वी. अनु मेहता और ओआरएस, में रिपोर्ट किया गया

(2015) 1 एससीसी 103;

((ii) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम बनाम। हरमीत सिंह पेंटल और अन्र। , (2010) 3 एस. सी. सी. 330 में सूचित;
((iii) सुनीता पालिता और अन्य बनाम। मेसर्स पंचमी स्टोन क्वारी,

(2022) एससी ऑनलाइन एससी 945 में रिपोर्ट किया गया।

14. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील प्रार्थना करता है कि इसमें कोई योग्यता नहीं है

अपील, उसी को खारिज किया जा सकता है।

विश्लेषण

15. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुनने के बाद और रिकॉर्ड पर सामग्री को देखने के बाद एकमात्र प्रश्न एस. पी. मणि और मोहन डेरी बनाम।

DR.SNEHALATHA ELANGOVAN [जे. बी. पारदीवाला, जे.]हमारे विचार के लिए यह है कि क्या उच्च न्यायालय ने कोई अपराध किया है

आक्षेपित आदेश पारित करने में?

16. चूँकि दोनों पक्षों के तर्कों ने मुख्य रूप से शिकायत में किए गए कथनों को आगे बढ़ाया है और उचित परिप्रेक्ष्य से पहले मामले का विश्लेषण करने के लिए, शिकायत के रूप में वैधानिक सूचना की जांच करना आवश्यक है। 14.08.2017 दिनांकित सांविधिक सूचना में लिखा है

" को,

1. सिरा विपणन सेवा, जिसका प्रतिनिधित्व इसके भागीदार/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, राजेश, पुराना No.60, नया No.30, द्वारा किया जाता है।

28 क्रास स्ट्रीट, इंदिरा नगर, अड्यार, चेन्नई-20.

2. राजेश, भागीदार/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता,

सिरा विपणन सेवा,

पुराना No.60, नया नंबर 30,28 वां क्रॉस स्ट्रीट, इंदिरा नगर, अड्यार, चेन्नई-20।

3. डॉ. श्रीमती स्नेहलता इलनगोवन, डब्ल्यू/ओ। इलनगोवन, भागीदार/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता,

सिरा विपणन सेवा,

पुराना No.60, नया No.30,

28 क्रास स्ट्रीट, इंदिरा नगर, अड्यार, चेन्नई-20.

साहब,

कृपया ध्यान दें कि हमें हमारे ग्राहक एस. पी. मणि और मोहन डेयरी द्वारा निर्देश दिया जाता है, जिसका प्रतिनिधित्व इसके प्रबंध भागीदार द्वारा किया जाता हैः आर. मोहनसुंदरम, No.34 और 84, जीवनंथम स्ट्रीट, आपको यह नोटिस जारी करने के लिए कोल्लमपालयम, इरोड-638002।

आप नंबर 1 एक साझेदारी फर्म हैं, आप नंबर 2 और 3 भागीदार और प्रभारी हैं और आप नंबर 1 के दिन-प्रतिदिन के मामलों के लिए जिम्मेदार हैं, आप नंबर 2 और 3 नियमित रूप से देख रहे हैं और आप नंबर 1 के दिन-प्रतिदिन के व्यवसाय में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हमारा ग्राहक दूध और दूध उत्पादों में व्यवसाय कर रहा है: आप ऋण के आधार पर हमारे ग्राहक से दूध और दूध उत्पाद खरीदते थे। हमारा ग्राहक सही और सही खाते बना रहा है। हमारे ग्राहक द्वारा बनाए गए खातों के अनुसार आपको रुपये की शेष राशि का भुगतान करना होगा। 10,71, 434.60 हमारे ग्राहक। उक्त शेष राशि और देयता के हिस्से का निर्वहन करने के लिए आप नंबर 2 ने आपकी ओर से और आपकी जानकारी और सहमति से नंबर 3 ने निम्नलिखित चेक जारी किया जो तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड, तिरुवनमियूर पर तैयार किया गया है।

शाखा, चेन्नई-41.

चेक राशि

चेक नं.

एस. नं. चेक तिथि

411618

1 .

रु. 10,00,000 /

05.05.2017

आपके अनुरोध पर हमारे ग्राहक ने उपरोक्त चेक प्रस्तुत किया।

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, सती रोड शाखा, इरोड के माध्यम से 13.06.2017 पर संग्रह के लिए और इसे 14.06.2017 पर "फंड्स इनसफीएंट" के रूप में वापस कर दिया गया था। फिर से आपके अनुरोध पर हमारे ग्राहक ने 20.07.2017 पर संग्रह के लिए उपरोक्त चेक प्रस्तुत किया।

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, सती रोड शाखा, इरोड के माध्यम से और इसे 21.07.2017 पर "फंड्स इनसुफिएंट" के रूप में वापस कर दिया गया था। आपके खाते में पर्याप्त धन के बिना, आपने जारी किया है

ऊपर कहा गया चेक।

आपने भुगतान का आश्वासन देते हुए उपरोक्त चेक जारी किया

उसी की प्रस्तुति। उक्त चेक जारी करते समय, आपने प्रतिनिधित्व किया कि आपका इसमें खाता है।

जो आपके खाते में पर्याप्त राशि होगी। लेकिन आपने जानबूझकर हमारे मुवक्किल को धोखा देने और धोखा देने के इरादे से इसका अपमान करने की अनुमति दी। इसलिए, आपने परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध किया है।

उपकरण अधिनियम।

आपको उपर्युक्त राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है

रु. 10,00,000 / -उपरोक्त चेक दिनांक 05.05.2017 के तहत देय इस सूचना की प्राप्ति की तारीख से कुछ दिनों के भीतर है। कृपया ध्यान दें कि भुगतान करने में आपकी विफलता पर

उपर्युक्त समय के भीतर, आपके खिलाफ परक्राम्य लिखत की धारा 138 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अधिनियम 1881 और उसके बाद आपको उससे उत्पन्न होने वाले सभी खर्चों और परिणामों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

[एस. पी. मणि और मोहन डेरी बनाम। DR.SNEHALATHA ELANGOVAN [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

17. पुनरावृत्ति की कीमत पर, हम यह कह सकते हैं कि कोई विवाद नहीं है कि प्रतिवादी को जारी किए गए उपरोक्त नोटिस को विधिवत स्वीकार किया गया था

तथापि, प्रत्यर्थी ने सोचा कि इसका कोई उत्तर नहीं देना उचित है। पावती रसीद को भी रिकॉर्ड में रखा गया है। प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित अर्जित वकील ने निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया कि उन्हें नोटिस प्राप्त हुआ था, हालांकि कोई जवाब नहीं दिया गया है

ई एक ही।

18. एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत दर्ज की गई शिकायत में कहा गया है

" शिकायतकर्ता एक साझेदारी फर्म है जो इसके तहत पंजीकृत है

अभियुक्त नंबर 1 एक साझेदारी फर्म है, अभियुक्त नंबर 2 और 3 भागीदार और प्रभारी हैं और इसके लिए जिम्मेदार हैं। अभियुक्त नं. 1, अभियुक्त नं. 2 और

3 नियमित रूप से देखभाल कर रहे हैं और सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं

शिकायतकर्ता दूध और दूध उत्पादों का व्यवसाय कर रहा है। आरोपी शिकायतकर्ता से ऋण के आधार पर दूध और दूध उत्पाद खरीदता था। शिकायतकर्ता है

सही और सही खाते बनाए रखना। शिकायतकर्ता द्वारा रखे गए खातों के अनुसार, अभियुक्त को शिकायतकर्ता को Rs.10,71,434.60 की शेष राशि का भुगतान करना होता है। उक्त शेष राशि और देयता के हिस्से का निर्वहन करने के लिए

अभियुक्त नं. 2 ने अभियुक्त नं. 1 की ओर से और अभियुक्त नं. 3 की जानकारी और सहमति से जारी किया

निम्नलिखित चेक जो तमिलनाड मर्केंटाइल पर तैयार किया गया है

बैंक लिमिटेड, तिरुवनमियूर शाखा, चेन्नई-41.

एस. नं. चेक तिथि चेक सं।

चेक राशि

411618

1 .

05.05.2017

रु.

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, सती रोड शाखा, इरोड और उसी को 14.06.2017 पर "फंड्स इनसुफिएंट" के रूप में वापस कर दिया गया था। पुनः, अभियुक्त के अनुरोध पर शिकायतकर्ता ने 20.07.2017 पर संग्रह के लिए उपरोक्त चेक प्रस्तुत किया। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, सती रोड शाखा, इरोड और उसी को 21.07.2017 पर "फंड्स इनसुफिएंट" के रूप में वापस कर दिया गया था। अपने खाते में पर्याप्त धन के बिना अभियुक्तों ने जारी किया है

ऊपर कहा गया चेक।

अभियुक्त ने भुगतान का आश्वासन देते हुए उपरोक्त चेक जारी किया

उसी की प्रस्तुति पर। उक्त चेक जारी करने के समय, अभियुक्त ने प्रतिनिधित्व किया कि उनके पास एक

जिस खाते में उनके खाते में पर्याप्त राशि होगी। लेकिन आरोपी ने जानबूझकर धोखा देने और धोखाधड़ी करने के इरादे से इसका अपमान करने की अनुमति दी।

शिकायतकर्ता। इसलिए, अभियुक्तों ने एक परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन दंडनीय अपराध।

नोटिस करें। अभियुक्त को उपरोक्त नोटिस 16.08.2017 पर प्राप्त हुआ। लेकिन वे 15 दिनों के भीतर उपरोक्त चेक राशि का भुगतान करने में विफल रहे। इसलिए आरोपी ने एक अपराध किया है धारा 138 आर/डब्ल्यू के तहत दंडनीय अपराध। 142 2002 के अधिनियम 55 द्वारा संशोधित परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881।

शिकायतकर्ता प्रस्तुत करता है कि उसने इस अपराध से संबंधित प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत किए थे।

माननीय न्यायालय के पास अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार क्षेत्र है। तमिलनाडु न्यायालय शुल्क अधिनियम के तहत 5,000/- रुपये का न्यायालय शुल्क का भुगतान किया जाता है।

एस. पी. मणि और मोहन डेरी बनाम। DR.SNEHALATHA ELANGOVAN [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

इसलिए यह प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय संतुष्ट हो।

अभियुक्त को शिकायतकर्ता को मुआवजा देने का निर्देश दें यू/एस 357 सी. पी. सी. और न्याय प्रदान करें।

[जोर दिया गया]

19. इस प्रकार, उपरोक्त में निम्नलिखित अभिकथन

दाग-धब्बे स्पष्ट हैं:

(क) अभियुक्त सं. 1 एक साझेदारी फर्म है, अभियुक्त सं. 2 और

3 जवाब देने वाले भागीदार हैं और इसके लिए प्रभारी और जिम्मेदार हैं

फर्म के दिन-प्रतिदिन के मामले, आरोपी संख्या। 2 और 3 हैं

नियमित रूप से देखभाल करना और दिन-प्रतिदिन सक्रिय रूप से भाग लेना

फर्म का व्यवसाय;

(ख) आंशिक दायित्व का निर्वहन करने के लिए, अभियुक्त संख्या 2

फर्म की ओर से और उसकी सहमति और जानकारी के साथ

अभियुक्त संख्या 3 ने तमिलनाड पर खींचा गया चेक जारी किया

मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड, तिरुवनमियूर शाखा, चेन्नई-41.

20. उपरोक्त कथनों को न केवल पढ़ा जाता है

दागदार लेकिन नोटिस में भी।

21. अब हम पारित किए गए विवादित आदेश को देखने के लिए आगे बढ़ेंगे।

ई उच्च न्यायालय। वही आदेश इस प्रकार है:

" यह आपराधिक मूल याचिका रद्द करने के लिए दायर की गई है

2017 के एस. टी. सी. सं. 583 में कार्यवाही, की फाइल पर लंबित

न्यायिक मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रैक कोर्ट No.II इरोड।

2. प्रतिवादी ने धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज कराई है।

परक्राम्य लिखत अधिनियम। याचिकाकर्ता को तैयार किया गया है

शिकायत में ए ~ 3 के रूप में। यह रद्द याचिका दायर की गई है।

मुख्य रूप से दो आधार पर। पहला आधार यह है कि

साझेदारी फर्म को फरवरी 2017 के दौरान भंग कर दिया गया था और

कहा जाता है कि विषय का चेक ए-2 द्वारा जारी किया गया था।

05.05.2017 , साझेदारी फर्म के विघटन के बाद। द. 2 दूसरा आधार जो उठाया गया है वह यह है कि लगाए गए आरोप

शिकायत में धारा की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है

141 परक्राम्य लिखत अधिनियम।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री के. कन्नन को सुना

और श्री एम. गुरुप्रसाद, प्रत्यर्थी के विद्वान वकील।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4. जहाँ तक याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए पहले मुद्दे का संबंध है, इस पर इस न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जा सकता है और यह एक तथ्यात्मक मुद्दा है जिसका निर्णय केवल मुकदमे के दौरान ही किया जा सकता है।

5. जहाँ तक दूसरे मुद्दे का संबंध है, प्रतिवादी द्वारा दायर शिकायत से प्रासंगिक भाग निकालना फायदेमंद होगाः

" आरोपी नंबर 1 एक पार्टनरशिप फर्म है, आरोपी

नंबर 2 और 3 भागीदार और प्रभारी और जिम्मेदार हैं।

अभियुक्त नं. 1 के दैनिक मामलों के लिए, अभियुक्त

नंबर 2 और 3 नियमित रूप से देखभाल कर रहे हैं और सक्रिय रूप से ले रहे हैं

अभियुक्त नं. 1 के दैनिक कार्य में भाग लेना।

शिकायतकर्ता दूध और दूध का व्यवसाय कर रहा है।

उत्पाद। आरोपी दूध और दूध खरीदता था शिकायतकर्ता से ऋण के आधार पर उत्पाद। द.

शिकायतकर्ता सही और सही खाते रख रहा है। के रूप में

शिकायतकर्ता द्वारा रखे गए खातों के अनुसार, अभियुक्त

रुपये की शेष राशि का भुगतान करना होगा। 10,71, 434 . 60 / - के लिए

शिकायतकर्ता। उक्त भाग के निर्वहन के लिए

अभियुक्त सं. 2 की ओर से शेष राशि और दायित्व

अभियुक्त संख्या 1 की जानकारी और सहमति के साथ

अभियुक्त संख्या 3 ने निम्नलिखित चेक जारी किया जो है -

तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड, तिरुवनमियूर शाखा, चेन्नई-41 "।

च्यूज नं.

चेक राशि

एस. नं. चेक तिथि

411618

रु.

10,00,000 /

1 .

05.05.2017

6. वर्तमान मामले में, ए ~ 1 साझेदारी फर्म है और ए ~ 2 जो भागीदार है, चेक का हस्ताक्षरकर्ता है। याचिकाकर्ता ए-3 को एक आरोपी के रूप में शामिल किया गया है क्योंकि वह एक साथी है।

ए ~ 1 फर्म का। शिकायत पर याचिकाकर्ता के खिलाफ तभी मुकदमा चलाया जा सकता है जब शिकायत में लगाए गए आरोप परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 141 की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

7. वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी ने केवल परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 141 के तहत उपयोग किए गए शब्दों को दोहराया है और इस बारे में कोई आरोप नहीं है कि याचिकाकर्ता एस. पी. मणि और मोहन डेरी बनाम के लिए कैसे और किस तरह से प्रभारी और जिम्मेदार है।

DR.SNEHALATHA ELANGOVAN [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

व्यवसाय का संचालन। इस तरह के आरोप के अभाव में, शिकायत के खिलाफ बनाए रखने योग्य नहीं है

याचिकाकर्ता। इस मुद्दे पर कानून अच्छी तरह से तय किया गया है।

8. परिणामस्वरूप, न्यायिक मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रैक कोर्ट No.II की फाइल पर 2017 की एस. टी. सी. संख्या 583 में कार्यवाही, जहां तक याचिकाकर्ता का कहना है, इरोड को निरस्त कर दिया जाता है।

चिंतित हैं। निम्नलिखित न्यायालय को 2017 के एस. टी. सी. No.583 में अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही प्राप्ति की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया गया है।

इस आदेश की एक प्रति।

9. उपरोक्त निर्देशों के साथ इस आपराधिक मूल याचिका की अनुमति है। नतीजतन, संबंधित विविध याचिकाएं

बंद हैं।

22. इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को स्पष्ट रूप से पढ़ने से यह संकेत मिलता है कि कार्यवाही

अनिवार्य रूप से इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं था कि प्रतिवादी किस तरह से फर्म के दिन-प्रतिदिन के मामलों के लिए प्रभारी और जिम्मेदार था ताकि उसे एन. आई. अधिनियम की धारा 141 की सहायता से कथित अपराध के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी बनाया जा सके। दूसरे शब्दों में कहें तो, उच्च न्यायालय इस आधार पर आगे बढ़ा कि फर्म में भागीदार के रूप में प्रतिवादी की भूमिका के संबंध में शिकायत में केवल कथन पर्याप्त नहीं है।

परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 141 का विश्लेषण करते हुए,

1881

23. एन. आई. अधिनियम की धारा 138 और धारा 141 के प्रावधान इस प्रकार हैं:

" धारा 138। अपर्याप्तता आदि के लिए चेक का अनादर

खाते में धन।

जहाँ किसी व्यक्ति द्वारा खाते पर कोई चेक निकाला जाता है।

किसी भी ऋण या अन्य देयता के पूरे या आंशिक रूप से निर्वहन के लिए उस खाते से किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी राशि के भुगतान के लिए एक बैंकर के साथ उसके द्वारा रखे गए धन को बैंक द्वारा बिना भुगतान के वापस कर दिया जाता है, या तो उस खाते में जमा की गई राशि चेक का सम्मान करने के लिए

अपर्याप्त है या यह उस [2022] 9 एस. सी. आर. के साथ किए गए समझौते द्वारा उस खाते से भुगतान की जाने वाली राशि से अधिक है।

बैंक, ऐसे व्यक्ति को प्रतिबद्ध माना जाएगा

अपराध और इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से जो चेक की राशि के दोगुने तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों से दंडित किया जाएगाः

बशर्ते कि इस धारा में निहित कुछ भी तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि

(क) चेक को बैंक को उस तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर या इसकी वैधता की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, प्रस्तुत किया गया है; (ख) प्राप्तकर्ता या धारक, जैसा भी मामला हो, चेक के नियत समय में, भुगतान की मांग करता है।

लिखित में एक नोटिस देकर कहा गया धन राशि,

रसीद के तीस दिनों के भीतर चेक का दराज वापसी के संबंध में बैंक से उसके द्वारा दी गई जानकारी

भुगतान न किए गए चेक का; और

(ग) इस तरह के चेक का आहरणकर्ता चेक के नियत समय के भीतर, प्राप्तकर्ता को या, जैसा भी मामला हो, धारक को उक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहता है।

उक्त सूचना की प्राप्ति के पंद्रह दिन।

व्याख्याः इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "ऋण या अन्य दायित्व" का अर्थ है कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या अन्य दायित्व।

" धारा 141। कंपनियों द्वारा अपराध।

(1) यदि धारा 138 के तहत अपराध करने वाला व्यक्ति है -

एक कंपनी, प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध के समय था

कंपनी के साथ-साथ कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रतिबद्ध, प्रभारी था और कंपनी के प्रति जिम्मेदार था, उसे अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

और तदनुसार दंडित किया।

बशर्ते कि इस उप-धारा में निहित कुछ भी किसी व्यक्ति को दंड के लिए उत्तरदायी नहीं बनाएगा यदि वह साबित करता है

कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था, या कि उसने अपराध को रोकने के लिए सभी उचित परिश्रम का प्रयोग किया था इस तरह का अपराध करना।

एस. पी. मणि और मोहन डेरी बनाम। DR.SNEHALATHA ELANGOVAN [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

बशर्ते कि जहां किसी व्यक्ति को उसके स्वामित्व के आधार पर किसी कंपनी के निदेशक के रूप में नामित किया जाता है, केंद्र सरकार या राज्य में कार्यालय या रोजगार

सरकार या वित्तीय निगम के स्वामित्व में या

केंद्र सरकार या राज्य द्वारा नियंत्रित सरकार, जैसा भी मामला हो, उत्तरदायी नहीं होगी।

इस अध्याय के अधीन अभियोजन के लिए।

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के तहत कोई अपराध किया गया है

कंपनी और यह साबित होता है कि अपराध किया गया है

की सहमति या मिलीभगत से प्रतिबद्ध है, या है कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की ओर से की गई किसी भी लापरवाही के कारण, ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी को भी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगा।

इस धारा के प्रयोजनों के लिए स्पष्टीकरण

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसमें कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ शामिल है; और

((ख) "निदेशक" से किसी फर्म के संबंध में कोई भागीदार अभिप्रेत है।

फर्म "।

24. स्पष्ट रूप से, धारा 138 का सार यह है कि जब उसके द्वारा खींचा गया चेक निर्धारित आधारों पर भुगतान किए बिना वापस कर दिया जाता है तो चेक खींचने वाले को अपराध माना जाएगा। पूर्ववर्ती शर्तें और अपराध का गठन करने के लिए बाद की शर्तें हैं:

दराज़दार द्वारा रखे गए खाते पर एक चेक का आहरण

बैंकर, निर्धारित अवधि के भीतर चेक की प्रस्तुति, निर्धारित अवधि के भीतर लिखित रूप में नोटिस देकर प्राप्तकर्ता द्वारा मांग करना और निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान करने में दराज की विफलता। इन आवश्यकताओं को पूरा करने पर, अपराध करना जिसे 'चेक के अपमान' का अपराध कहा जा सकता है पूर्ण। यदि दराज एक कंपनी है, तो अपराध मुख्य रूप से कंपनी द्वारा किया जाता है। धारा 141 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के आधार पर, अपराध के लिए अपराध और मुकदमा चलाने और दंडित करने का दायित्व हर उस व्यक्ति को दिया जाएगा, जो अपराध के समय दोषी था।

प्रतिबद्ध था, उसके व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी था और कंपनी के लिए जिम्मेदार था; चाहे वह व्यक्ति [2022] 9 एस. सी. आर. हो।

कंपनी के निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी। ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति को, पहले परंतुक के संदर्भ में दोषमुक्त होने के लिए, यह साबित करना होगा कि अपराध उसके बिना किया गया था।

ज्ञान या उसके उचित परिश्रम के बावजूद।

25. उप-धारा (2) के अलग प्रावधान के तहत, यदि यह साबित हो जाता है कि अपराध की सहमति या मिलीभगत से किया गया था या

कंपनी के सचिव या अन्य अधिकारी, ऐसे व्यक्ति को भी उस अपराध के लिए दोषी माना जाएगा। जाहिर है, किसी भी निदेशक की ओर से सहमति, मिलीभगत या उपेक्षा आदि का आरोप लगाने और साबित करने का भार शिकायतकर्ता पर होगा। गैर-अड़चन खंड के साथ जिसे उप-धारा (2) खोलती है, यह इंगित करती है कि डीमिंग प्रावधान उप-धारा (1) में डीमिंग प्रावधान से अलग और अलग है जिसमें कंपनी के प्रभारी और उसके व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का कार्यालय या पदनाम महत्वहीन है।

26. जबकि एक व्यक्ति को फंसाने के लिए आवश्यक तत्व

उप-धारा (1) वह है जो आयोग के समय कंपनी के व्यवसाय के संचालन में उसका प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी है। अपराध, उप-धारा (2) में इस बात पर जोर दिया गया है कि किसी अधिकारी का पद धारण करना और उसकी सहमति, मिलीभगत या लापरवाही, चाहे वह वास्तव में कंपनी का प्रभारी हो या न हो और कंपनी के व्यवसाय के संचालन में उसके प्रति उत्तरदायी हो। अतः महत्वपूर्ण और

उप-धारा (1) की विशिष्ट विशेषता कंपनी के मामलों पर एक जिम्मेदार व्यक्ति का नियंत्रण है, न कि उसके पद धारण करने या उसके पदनाम पर, जबकि उप-धारा (2) के तहत दायित्व एक पद धारण करने और सहमति, मिलीभगत या उपेक्षा से उत्पन्न होता है। जबकि उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा कवर किए गए सभी व्यक्ति उत्तरदायी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और इस बात के प्रमाण पर भी दंडित किया गया कि वे कंपनी के व्यवसाय के संचालन में या उनके पद धारण करने में उनके प्रभारी और जिम्मेदार थे और सहमति के दोषी थे,

कंपनी द्वारा अपराध करने के मामले में मिलीभगत या उपेक्षा, उप-धारा (1) के दायरे में आने वाला व्यक्ति, पहले परंतुक के आधार पर, केवल तभी सजा से बच सकता है जब वह साबित करे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना या उसके उचित परिश्रम के बावजूद किया गया था।

27. जहाँ तक अपेक्षित साक्ष्य का संबंध है, अभियोजन पक्ष पर बोझ

उप-धारा (1) के तहत आरोपमुक्त किया जाएगा जब कोई व्यक्ति कंपनी के व्यवसाय के संचालन में उसके लिए प्रभारी और जिम्मेदार साबित होता है और यह साबित करने के लिए कि वह अज्ञानी था, अभियुक्त पर दबाव डालता है।

DR.SNEHALATHA ELANGOVAN [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

अपने व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी के प्रति उत्तरदायी, हालाँकि वह निदेशक हो भी सकता है और नहीं भी। कंपनी का अधिकारी, जैसा कि उप-धारा (2) में उल्लिखित है। यह पर्याप्त होगा यदि शिकायत इंगित करती है कि ऐसे व्यक्ति को उन कथनों के आधार पर आरोपित किया गया है जो उसे अपराध के समय कंपनी के व्यवसाय के संचालन में उसके प्रभारी और जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में प्रकट करते हैं। जाहिर है, एक व्यक्ति जो चेक पर हस्ताक्षर करता है या जिसके पास चेक पर हस्ताक्षर करने का अधिकार है

कंपनी की ओर से, उसके कार्यालय या क्षमता की परवाह किए बिना, प्रथम दृष्टया, कंपनी के व्यवसाय के संचालन में उसके प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी माना जा सकता है। और, जहां ऐसे व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जाता है, तो,

यदि यह उसका बचाव है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने इस तरह के अपराध को रोकने के लिए सभी उचित परिश्रम का प्रयोग किया है, तो यह साबित करने का बोझ उस पर होगा और उसे केवल सबूत के स्तर पर ही बरी किया जा सकता है। 28. नगर निगम में इस न्यायालय के निर्णयों के बीच स्पष्ट संघर्ष को हल करने के लिए एक संदर्भ पर विचार करते समय

दिल्ली बनाम. राम किशन रोहतगी, (1983) 1 एस. सी. सी. 1 और यू. पी. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम। मोदी डिस्टिलरी, (1987) 3 एस. सी. सी. 684, एन. आई. अधिनियम की धारा 141 के प्रावधानों के तहत प्रत्यावर्ती दायित्व के संदर्भ में, इस न्यायालय ने पी. राजारथिनम बनाम. महाराष्ट्र राज्य, (2000) 10 एस. सी. सी. 529, विशेष रूप से निम्नानुसार मनाया गयाः

" 4. प्रावधान के एक नंगे पढ़ने के लिए अनिवार्य है कि कुछ तथ्यों को रिकॉर्ड पर आना चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि अंततः आरोप का जवाब किसे देना चाहिए। आवश्यक रूप से, पूर्व-आरोप साक्ष्य महत्वपूर्ण है। शिकायतकर्ता को अपनी बात रखनी होगी

शिकायत में दिए गए मामले का पक्ष और व्यक्ति [2022] 9 एस. सी. आर.

बुलाए जाने पर जो भी सामग्री है उसे रिकॉर्ड में रखना होगा

खुद को बाहर निकालने के लिए। किसी भी मामले में, महत्वपूर्ण समय होगा आरोप तय करते समय उस संबंध में कोई निर्णय लें

अदालत द्वारा किए जाने की आवश्यकता होगी। वर्तमान में ऐसा प्रतीत होता है कि

हमारे लिए संघर्ष और अनुपात को हल करने के लिए समय से पहले

इसके द्वारा अनुमान लगाया गया, आज्ञाकारी साबित हो सकता है। इसलिए हम सोचते हैं कि

संबंधित न्यायालय को उस समय उचित आदेश पारित करने के लिए प्रभार की रचना। इस तरह हम इनका निपटारा करते हैं।

अपील '।

[जोर दिया गया]

29. मौलिक मुद्दा उठाया गया और वर्तमान में इसे हल करने की आवश्यकता है।

मामला उस व्यक्ति से संबंधित है जिसके खिलाफ धारा 141 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए क्योंकि वह "अपराध के समय" कंपनी का प्रभारी और जिम्मेदार था। इसलिए यह पता लगाना महत्वपूर्ण होगा कि कब कंपनी द्वारा धारा 138 के तहत अपराध किया गया है। यह आम बात है कि एक अपराध का अर्थ तथ्यों या चूक का एक समूह है जो कानून द्वारा दंडनीय हैं और इसलिए, इसमें कई भाग हो सकते हैं, प्रत्येक भाग अलग-अलग समय और स्थान पर किया जा रहा है।

विभिन्न व्यक्तियों को शामिल करना। धारा 138 के प्रावधानों के तहत अभियोजन और सजा के उद्देश्य से "चेक का अपमान" के अपराध का गठन करने से पहले कई प्रकार के कृत्यों और चूक की आवश्यकता होगी। यह उच्चतम न्यायालय द्वारा के. भास्करन बनाम में अभिनिर्धारित किया गया है। शंकरन वैद्यन बालन, (1999) 7 एस. सी. सी. 510, किः

" 14. अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध को पूरा किया जा सकता है।

केवल कई कृत्यों के संयोजन के साथ। निम्नलिखित वे कार्य हैं जो उक्त अपराध के घटक हैंः (1)

चेक की ड्राइंग, (2) चेक की प्रस्तुति बैंक, (3) ऋण लेने वाले बैंक द्वारा भुगतान नहीं किए गए चेक को लौटाना,

(4) चेक के दराज़दार को लिखित सूचना देना

चेक राशि के भुगतान की मांग, (5) की विफलता

दराज़दार को रसीद की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर भुगतान करना होगा

नोटिस करें "।

30. अलग-अलग व्यक्ति कंपनी के प्रभारी हो सकते हैं जब

एस. पी. मणि और मोहन डेयरी बनाम को पूरा करने के लिए आवश्यक कमीशन और चूक के कार्यों की प्रत्येक श्रृंखला।

DR.SNEHALATHA ELANGOVAN [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

कंपनी द्वारा अपराध किया जा रहा था। उदाहरण के लिए, किसी कंपनी के मामले में, "ए" चेक लेने के समय कंपनी का प्रभारी हो सकता है, "बी" चेक के अनादर के समय कंपनी का प्रभारी हो सकता है और "सी" कंपनी में हो सकता है।

मांग सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर भुगतान करने में विफलता के समय कंपनी का प्रभार। ऐसे मामले में, ए, बी और सी जवाब या उनमें से किसी के अभियोजन की अनुमति प्रावधान के उद्देश्य को आगे बढ़ाएगी और यदि किसी पर भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है या दंडित किया जा सकता है, तो यह धारा 138 के साथ-साथ धारा 141 के प्रावधानों के उद्देश्य को विफल कर देगा। इस व्याख्या की कुंजी वाक्यांश के उपयोग में निहित हैः " प्रत्येक व्यक्ति को अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगा जैसा कि धारा 141 की उप-धारा (1) और वाक्यांश के उपयोग में होता है, बशर्ते कि इस उप-धारा में निहित कुछ भी नहीं होगा।

कोई भी व्यक्ति दंडनीय है यदि वह साबित करता है। "यह पहले परंतुक में होता है। प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध करने के लिए आवश्यक घटकों में से किसी के समय कंपनी के प्रभारी था और उसके व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार था, उसके खिलाफ "कार्रवाई" की जा सकती है, लेकिन उसे "दंडित" नहीं किया जा सकता है यदि वह यह साबित करने में सफल हो जाता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना और उसके उचित परिश्रम के बावजूद किया गया था; यह साबित करने का बोझ उस पर शेष है। अतः यह भी अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि अपराध करने का समय

चेक का अनादर घड़ी के चक्कर पर या 15 के दौरान नहीं हो सकता है।

माँग सूचना के बाद के दिनों को उस समय के रूप में माना जाना चाहिए जब अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक प्रत्येक कार्य और चूक की गई थी। "प्रत्येक" शब्द एक ही समय में जिम्मेदार व्यक्तियों की बहुलता की संभावना की ओर इशारा करता है और साथ ही घटनाओं के क्रम में व्यक्तियों की एक श्रृंखला के प्रभारी होने की संभावना की ओर भी इशारा करता है। अंततः कंपनी द्वारा अपराध किया जा रहा था। यह 'प्रासंगिक समय' क्या है, यह एक ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर देने के लिए इस न्यायालय को एन. रंगाचारी बनाम में अन्य बातों के साथ बुलाया गया था। भारती संचार निगम लिमिटेड, आकाशवाणी (2007) एससी 1682। इस मामले में, एक कंपनी, डेटा एक्सेस ने बी. एस. एन. एल. को दो चेक जारी किए थे, जिन्हें विधिवत प्रस्तुत किया गया था, लेकिन धन की अपर्याप्तता के लिए उनका अपमान किया गया था। एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज की गई थी। जबकि बी. एस. एन. एल. ने निदेशकों को उत्तरदायी ठहराया, अपीलकर्ता, कंपनी में एक अध्यक्ष ने तर्क दिया कि वह एक नामित अध्यक्ष होने के नाते और कंपनी में एक मानद पद पर होने के नाते, उन्हें कभी भी कंपनी की किसी भी वित्तीय या अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के लिए नियुक्त नहीं किया गया था। वह नाम के लिए अध्यक्ष थे और [2022] 9 एस. सी. आर. थे।

कभी भी किसी नौकरी या व्यवसाय को नहीं सौंपा गया या हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकरण का गठन नहीं किया गया। दायित्व कब तय किया जा सकता है, इस मुद्दे को हल करते हुए इस न्यायालय ने कहाः

" हाथ पर मामले में, एक पूरे के रूप में शिकायत पढ़ने, यह है

स्पष्ट करें कि शिकायत में आरोप यह हैं कि उस समय

शिकायत को पढ़ने में बाल तोड़ना उचित नहीं है ताकि इस निष्कर्ष पर पहुँचें कि समग्र रूप से आरोप नहीं हैं

यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि समय के प्रासंगिक बिंदु पर

अपीलार्थी और दूसरे पर आरोप नहीं है कि वे प्रभारी व्यक्ति हैं

कंपनी के मामलों में। जाहिर है, शिकायत संदर्भित करती है

उस समय तक जब दो चेक जारी किए गए थे, उनके

प्रस्तुत करना, अपमान और नोटिस के बावजूद भुगतान करने में विफलता

अपमान का "।

[जोर दिया गया]

31. जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अनिल हाडा बनाम में अभिनिर्धारित किया गया है। इंडियन एक्रिलिक लिमिटेड,

(2000) 1 एस. सी. सी. 1, एन. आई. अधिनियम की धारा 141 की उप-धारा (1) में उपयोग किया गया वाक्यांश "और साथ ही" अपराध के दायरे में उल्लिखित व्यक्तियों को उल्लंघन करने वाली कंपनी के बराबर उलझाएगा।

इसलिए, जब कंपनी या फर्म चेक की निकासी करती है, तो ऐसी कंपनी या फर्म प्रमुख अपराधी होती है और विधायिका द्वारा बनाई गई कल्पना होती है। जब अपराध का श्रेय किसी न्यायिक व्यक्ति या कई व्यक्तियों से बने निकाय को दिया जाता है और मुकदमा चलाने और दंडित करने का दायित्व कानूनी कल्पना द्वारा कुछ मनुष्यों को उलझाए जाने तक बढ़ाया जाता है, तो उस कानूनी कल्पना की इस तरह से व्याख्या और प्रयोग किया जाना चाहिए कि जो व्यक्ति उलझने का इरादा रखते हैं वे केवल इस तथ्य से दायित्व से नहीं बच सकते हैं -

उस समय प्रभारी नहीं होने के कारण जब कंपनी द्वारा अपराध को पूरा करने के लिए आवश्यक अन्य घटनाओं में से एक हुई थी। के. भास्करन (ऊपर) से फिर से उधार लेते हुए, अदालत को ऐसी व्याख्या नहीं अपनानी चाहिए जो एक बेईमान चोरी करने वाले की मदद करती है और एक ईमानदार भुगतान करने वाले की नकल करती है क्योंकि यह बहुत ही विधायी उपाय को विफल कर देगा।

32. उपरोक्त संदर्भ में, हम तुरंत आगे बढ़ सकते हैं

मोनाबेन केतनभाई शाह बनाम के मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियों पर विचार करें। गुजरात राज्य ने 2004 की आपराधिक अपील संख्या 850 में (2004) 7 एस. सी. सी. 15 में रिपोर्ट किए गए 10.08.2004 पर निर्णय लियाः

एस. पी. मणि और मोहन डेरी बनाम। DR.SNEHALATHA ELANGOVAN [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

" अधिनियम की धारा 138 चेक का अपमान करती है।

कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय अपराध। अनुभाग

141 कंपनी द्वारा किए गए अपराधों से संबंधित है। यह प्रावधान है कि यदि

धारा 138 के तहत अपराध करने वाला व्यक्ति एक कंपनी है,

प्रत्येक व्यक्ति जो उस समय अपराध किया गया था

के प्रभारी थे, और कंपनी के लिए जिम्मेदार थे

कंपनी के व्यवसाय का संचालन, साथ ही साथ

कंपनी को अपराध का दोषी माना जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन्हें दंडित किया जाएगा।

तदनुसार। इस प्रकार, प्रत्यावर्ती दायित्व निर्धारित किया गया है

जो कंपनी के प्रभारी और जिम्मेदार हैं

अपने व्यवसाय के संचालन के लिए। खंड के उद्देश्य के लिए

141 , एक फर्म एक कंपनी के दायरे में आती है। यह नहीं है।

धारा 141 की भाषा को शब्दशः पुनः प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक

शिकायत में चूंकि शिकायत को इस रूप में पढ़ना आवश्यक है

शिकायत धारा 141 की आवश्यकताओं को पूरा करती है, शिकायत को आगे बढ़ाना होता है और उस पर मुकदमा चलाया जाना आवश्यक है। यह है।

यह भी सच है कि शिकायत को अति-तकनीकी समझने में इसे रद्द करने के लिए दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए। द.

चेक के उछाल को रोकने का प्रशंसनीय उद्देश्य और परिणामस्वरूप वाणिज्यिक लेन-देन की विश्वसनीयता को बनाए रखना

धारा 138 और 141 के अधिनियमन में ध्यान में रखा जाना चाहिए। ये प्रावधान बेईमानी की वैधानिक धारणा बनाते हैं।

यदि भुगतान नहीं किया जाता है तो किसी व्यक्ति को आपराधिक दायित्व के लिए उजागर करना नोटिस जारी होने के बाद भी वैधानिक अवधि के भीतर। यह भी है

यह सच है कि रद्द करने की शक्ति का प्रयोग करने की आवश्यकता है

बहुत कम और कहाँ, समग्र रूप से पढ़ें, तथ्यात्मक आधार

अपराध के लिए शिकायत में रखा गया है, यह नहीं होना चाहिए

निरस्त किया जाए। फिर भी, यह भी याद रखना चाहिए कि यह

क्या अदालत का कर्तव्य है कि वह अभियुक्त को आरोपमुक्त करे यदि शिकायत में बताई गई हर बात सही और अर्थपूर्ण है

उदारतापूर्वक इसके पक्ष में लगाए गए आरोप शिकायतकर्ता, अपराध के तत्व पूरी तरह से हैं

अभाव है।

[जोर दिया गया]

33. इस प्रकार, उपरोक्त निर्णय से स्पष्ट होने वाले कानूनी सिद्धांत

न्यायालय का सारांश इस प्रकार दिया जा सकता हैः

उन लोगों पर प्रत्यावर्ती दायित्व लगाया जा सकता है जो इसमें हैं।

(अ)

कंपनी या फर्म का प्रभार और उसके व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार। धारा 141 के प्रयोजन के लिए,

फर्म एक कंपनी के दायरे में आती है;

अनुभाग की भाषा को पुनः प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।

(ख)

141 शिकायत में शब्दशः क्योंकि शिकायत की आवश्यकता है

एक पूरे के रूप में पढ़ा जाना;

यदि शिकायत में लगाए गए आरोपों का सार

((ग)

धारा 141 की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए, शिकायत को

कानून के संबंध में आगे बढ़ें।

((घ)

शिकायत को अति-तकनीकी दृष्टिकोण समझने में

इसे अपनाया नहीं जाना चाहिए ताकि इसे रद्द किया जा सके।

(ई)

चेक के उछाल को रोकने का प्रशंसनीय उद्देश्य और

न्यायालय द्वारा क्रमशः धारा 138 और 141 के अधिनियमन के परिणामस्वरूप वाणिज्यिक लेनदेन की विश्वसनीयता को बनाए रखने को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

चिंतित हैं।

ये प्रावधान एक वैधानिक धारणा बनाते हैं -

(च)

यदि नोटिस जारी होने के बाद भी वैधानिक अवधि के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है तो किसी व्यक्ति को आपराधिक दायित्व के लिए उजागर करना।

रद्द करने की शक्ति का प्रयोग बहुत संयम से किया जाना चाहिए।

(जी)

और जहां, समग्र रूप से पढ़ें, शिकायत में अपराध के लिए तथ्यात्मक आधार रखा गया है, यह नहीं होना चाहिए निरस्त कर दिया।

(ज)

संबंधित न्यायालय का कर्तव्य होगा कि वह इसका निर्वहन करे

अभियुक्त यदि शिकायत में बताई गई हर बात को लेना सही है और उसमें लगाए गए आरोपों को शिकायतकर्ता के पक्ष में उदारता से समझते हुए, अपराध के तत्व

इनकी पूरी तरह से कमी है।

34. धारा 138 और 141 के बीच अंतर-संबंध

एन. आई. अधिनियम के बारे में इस न्यायालय द्वारा संक्षेप में समझाया गया है

फार्मास्यूटिकल्स वी. नीता भल्ला, आकाशवाणी (2005) 3512,

वींग शब्दः

एस. पी. मणि और मोहन डेरी बनाम। DR.SNEHALATHA ELANGOVAN [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

" उपरोक्त प्रावधानों से यह देखा जाएगा कि धारा 138 आपराधिक दायित्व को कारावास या जुर्माने से दंडनीय बनाती है। या दोनों के साथ किसी ऐसे व्यक्ति पर जो चेक जारी करता है

ऋण या देयता का संपूर्ण या आंशिक रूप से निर्वहन और चेक प्रस्तुत करने पर बैंक द्वारा उसका अनादर किया जाता है। धारा 141 कंपनी के मामले में ऐसे आपराधिक दायित्व का विस्तार हर उस व्यक्ति पर करती है जो अपराध के समय कंपनी के व्यवसाय का प्रभारी था और उसके संचालन के लिए जिम्मेदार था।

कंपनी। धारा 141 में निहित एक डीमिंग प्रावधान द्वारा

अधिनियम के अनुसार, ऐसा व्यक्ति धारा 138 के तहत अपराध के लिए प्रत्यक्ष रूप से दोषी ठहराया जा सकता है और तदनुसार दंडित किया जा सकता है।

कौन उत्तरदायी है? प्रत्यावर्ती दायित्वः

35. सहायक आयुक्त, मूल्यांकन-II, बैंगलोर और अन्य में यह न्यायालय। वी. वेल्लियप्पा टेक्सटाइल्स लिमिटेड और अन्य। ए. आई. आर. (2004) एस. सी. 86 ने कर्मचारी और नियोक्ता निगम के संबंध में अहंकार और परिवर्तन अहंकार की अवधारणा की शुरुआत की। न्यायालय ने इस सिद्धांत को निम्नलिखित शब्दों में स्पष्ट कियाः

" कर्मचारी के कार्यों के लिए निगमित आपराधिक दायित्व को बढ़ावा देने के लिए (जिसे आम तौर पर स्वयं उत्तरदायी होना चाहिए), अभिनेता-कर्मचारी जिसने शारीरिक रूप से अपराध किया है, वह अहंकार, निगमित व्यक्तित्व का केंद्र, निगमित निकाय का महत्वपूर्ण अंग, नियोक्ता का अहंकार होना चाहिए। निगम या उसका निर्देशन करने वाला दिमाग। चूँकि कंपनी/निगम का अपना कोई दिमाग नहीं है, इसलिए इसके सक्रिय और निर्देशन की इच्छा किसी ऐसे व्यक्ति से की जानी चाहिए जिसे कुछ उद्देश्यों के लिए एक एजेंट कहा जा सकता है, लेकिन जो वास्तव में निगम का निर्देशन करने वाला दिमाग और इच्छा है, निगम के व्यक्तित्व का अहंकार और केंद्र है। इस हद तक कंपनी पर आपराधिक दायित्व तय करने में हमारे कानून में कोई कठिनाई नहीं है। अहंकार परिवर्तन या पहचान दृष्टिकोण की सामान्य कानून परंपरा हमारे मौजूदा कानूनों के तहत लागू होती है।

36. अब, जो तार्किक सवाल सामने आएगा वह यह है कि इस अपराध के लिए कंपनी के माध्यम से कौन उत्तरदायी होगा? क्या कंपनी खुद हो सकती है

इस अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए, धारा 141 में कहा गया है, 'प्रत्येक व्यक्ति जो' और 'व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी के लिए जिम्मेदार था' को अपराध का दोषी माना जाएगा। प्रत्यावर्ती देयता की इस अवधारणा को इस [2022] 9 एस. सी. आर. द्वारा समझाया गया है।

सभिता राममूर्ति बनाम। आर. बी. एस. चन्नबसवराध्य, आकाशवाणी

5) एससी 3086, इस प्रकारः

" धारा 141 एक कानूनी कल्पना को उठाती है। उक्त कारण से

प्रावधान, एक व्यक्ति हालांकि व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं है

इस तरह के अपराध का करना प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होगा।

इसके लिए। इस तरह के प्रत्यावर्ती दायित्व का अनुमान लगाया जा सकता है जहाँ तक कि

शिकायत याचिका में ऐसा किया जाना आवश्यक है जिसमें अभियुक्त को इसके लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी बनाया जाए

प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी बनाया गया, वैधानिक के साथ सख्त अनुपालन आवश्यकताओं पर जोर दिया जाएगा।

[जोर दिया गया]

37. इस स्तर पर, हमें इस न्यायालय के फैसले पर गौर करना चाहिए

के. के. आहूजा बनाम वी. के. वोरा, (2009) 10 एस. सी. सी. 48, के. के. आहूजा ए. में, जिसमें इस न्यायालय ने प्रत्यावर्ती दायित्व के सिद्धांतों पर चर्चा की।

चेक के अपमान के संबंध में एक कंपनी के अधिकारी और आयोजित

" 27. अधिनियम की धारा 141 के तहत स्थिति हो सकती है -

संक्षेप में इस प्रकार हैः

(i) यदि अभियुक्त प्रबंध निदेशक या संयुक्त निदेशक है।

प्रबंध निदेशक, एक कथन करना आवश्यक नहीं है

शिकायत में कि वह प्रभारी है, और जिम्मेदार है कंपनी को, व्यवसाय के संचालन के लिए

कंपनी। यह पर्याप्त है यदि एक अनुमान लगाया जाता है कि

अभियुक्त प्रबंध निदेशक या संयुक्त प्रबंध निदेशक था।

संबंधित समय पर निदेशक। ऐसा इसलिए है क्योंकि उपसर्ग

" "निदेशक" शब्द का "प्रबंधन" यह स्पष्ट करता है कि

वे कंपनी के प्रभारी थे और कंपनी के प्रति उत्तरदायी हैं।

कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए।

सहमति, मिलीभगत या लापरवाही के बारे में। तथ्य यह है कि कि असम्मानित चेक पर उनके द्वारा एस. पी. मणि और मोहन डेरी बनाम की ओर से हस्ताक्षर किए गए थे।

कंपनी, के तहत जिम्मेदारी को जन्म देगा

धारा 141 की उप-धारा (2)।

कंपनी अधिनियम की धारा 2 (24) में परिभाषित) या एक व्यक्ति कंपनियों की धारा 5 के खंड (ई) और (एफ) में निर्दिष्ट

अधिनियम, शिकायत में एक कथन कि वह प्रभारी था

कंपनी के व्यवसाय को लाने के लिए आवश्यक है अधिनियम की धारा 141 (1) के तहत मामला। आगे कोई दावा नहीं

शिकायत में आवश्यक होगा, हालांकि कुछ

विवरण वांछनीय होंगे। उन्हें भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

धारा 141 (2) के तहत आवश्यक अभिकथन करके सहमति और मिलीभगत या लापरवाही से संबंधित,

शिकायत, मामले को उस उप-धारा के तहत लाने के लिए।

((iv) किसी कंपनी के अन्य अधिकारियों को उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है।

कंपनी को केवल उप-धारा (2) के तहत उत्तरदायी बनाया जा सकता है। धारा 141, शिकायत में उनकी स्थिति को टालते हुए

कंपनी में कर्तव्यों और उनके संबंध में उनकी भूमिका

चेक जारी करना और उसका अनादर करना, सहमति का खुलासा करना,

मिलीभगत या लापरवाही "।

[जोर दिया गया]

38. सुनीता पलिता के मामले में एक बहुत ही हालिया घोषणा में

' एस पंचमी स्टोन क्वारी (2022) एस. सी. ऑनलाइन एस. सी. 945, यह न्यायालय,

ऊपर उल्लिखित के. के. आहूजा (सुप्रा) का उल्लेख करते हुए, के रूप में देखा गया

:

" जब अभियुक्त प्रबंध निदेशक या संयुक्त निदेशक हो।

किसी कंपनी के प्रबंध निदेशक के लिए यह आवश्यक नहीं है कि

शिकायत में एक अभिकथन कि वह प्रभारी है, और है

के संचालन के लिए कंपनी का और उसके प्रति उत्तरदायी कंपनी का व्यवसाय। निदेशक या अधिकारी

चेक पर हस्ताक्षर करने वाली कंपनी मामले में खुद को उत्तरदायी मानती है

अपमान का। कंपनी के अन्य अधिकारियों को उत्तरदायी बनाया जा सकता है।

केवल एन. आई. अधिनियम की धारा 141 की उप-धारा (2) के तहत [2022] 9 एस. सी. आर.

शिकायत में उनकी स्थिति और कर्तव्यों का उल्लेख करते हुए

कंपनी, और मुद्दे और अपमान के संबंध में उनकी भूमिका

चेक का, सहमति, मिलीभगत या लापरवाही का खुलासा करना।

39. के मामले में अभी तक एक और हालिया घोषणा में

आशुतोष अशोक परसरामपुरिया बनाम घरकुल इंडस्ट्रीज प्रा. एस. एम. एस. फार्मास्युटिकल्स (उपरोक्त) के मामले में निर्णयों पर उचित विचार करने के बाद इस न्यायालय ने (2021) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 915 में रिपोर्ट की; एस. के. अलाघ वी। उत्तर प्रदेश राज्य (2008) 5 एस. सी. सी. 662; महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड v. दातार स्विचगियर लिमिटेड, (2010) 10 एस. सी. सी. 479, और जी. एच. सी. एल. कर्मचारी स्टॉक विकल्प न्यास बनाम। इंडिया इन्फोलाइन लिमिटेड, (2013) 4 एस. सी. सी. 505, निम्नलिखित रूप में देखा गयाः

" एस. एम. एस. फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (ऊपर) में अनुपात के आलोक में

और बाद के निर्णय जिनका एक संदर्भ दिया गया है

इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि क्या शिकायत में, इसके अलावा

यह दावा करते हुए कि अपीलकर्ता कंपनी के निदेशक हैं

और वे कंपनी के प्रभारी और जिम्मेदार हैं।

कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए और यदि वैधानिक है

निर्विवाद साक्ष्य जो संदेह या संदेह से परे है या पूरी तरह से स्वीकार्य परिस्थितियाँ जो स्पष्ट रूप से इंगित कर सकती हैं

कि निदेशक इसके बारे में चिंतित नहीं हो सकता था

चेक जारी करना और उसे मुकदमे का सामना करने के लिए कहना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जाए। बुनियादी होने के बावजूद

विशेष निदेशक के खिलाफ, जिसके लिए हो सकता है विभिन्न कारणों से।

[जोर दिया गया]

40. इसके उपरोक्त निर्णय से स्पष्ट सिद्धांत

आशुतोष अशोक परसरामपुरिया (ऊपर) के मामले में अदालत का कहना है कि उच्च न्यायालय को किसी आरोपी के कहने पर संहिता की धारा 482 के तहत तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि उसे कुछ निर्दोष न लगे।

और यह इंगित करने के लिए निर्विवाद साक्ष्य कि किसी फर्म का निदेशक/भागीदार चेक जारी करने से संबंधित नहीं हो सकता था। इस न्यायालय ने स्पष्ट किया कि एक मामले में बुनियादी की उपस्थिति के बावजूद

अभिकथनों के अनुसार, उच्च न्यायालय यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि एस. पी. मणि और मोहन डेरी बनाम के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है।

DR.SNEHALATHA ELANGOVAN [जे. बी. पारदीवाला, जे.]विशेष निदेशक/भागीदार बशर्ते निदेशक/भागीदार कुछ निर्विवाद और निर्विवाद साक्ष्य देने में सक्षम हो।

संदेह और संदेह।

शिकायत में विशिष्ट तथ्यः

41. गुनमाला सेल्स प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) में, इस न्यायालय ने एन. आई. की धारा 141 पर अपने पहले के फैसलों की व्यापक समीक्षा के बाद अपने निष्कर्ष को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत कियाः

" क) एन. आई. अधिनियम की धारा 141 के साथ पठित धारा 138 के तहत दायर शिकायत में एक बार मूल अभिकथन किया जाता है कि निदेशक आचरण के लिए प्रभारी और जिम्मेदार था।

कंपनी के व्यवसाय का संबंधित समय जब अपराध किया गया था, मजिस्ट्रेट प्रक्रिया जारी कर सकता है।

ऐसे निदेशक के खिलाफ;

ख) यदि संहिता की धारा 482 के तहत याचिका दायर की जाती है

निदेशक द्वारा ऐसी शिकायत को रद्द करते हुए, उच्च न्यायालय, किसी विशेष मामले के तथ्यों में, शिकायत को समग्र रूप से पढ़ने पर, शिकायत को रद्द करने से इनकार कर सकता है क्योंकि शिकायत में मूल कथन है जो पर्याप्त है -

निदेशक के खिलाफ मामला दर्ज करें;

शिकायत में निदेशक की भूमिका के बारे में अधिक विवरण। हो सकता है कि ऐसा कुछ अकल्पनीय होने के कारण किया गया हो, निर्विवाद साक्ष्य जो संदेह या संदेह से परे है या पूरी तरह से स्वीकार्य परिस्थितियाँ जो स्पष्ट रूप से इंगित कर सकती हैं कि निदेशक चेक जारी करने से संबंधित नहीं हो सकता था और उसे मुकदमे में खड़े होने के लिए कहना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। की उपस्थिति के बावजूद

बुनियादी अभिकथन, यह इस निष्कर्ष पर पहुँच सकता है कि निदेशक के खिलाफ कोई मामला नहीं बनाया गया है। उदाहरण के लिए एक निदेशक का मामला लें जो एक घातक बीमारी से पीड़ित था जो संबंधित समय पर बिस्तर पर था या एक निदेशक जिसने चेक जारी करने से बहुत पहले इस्तीफा दे दिया था। ऐसे मामलों में, यदि उच्च न्यायालय आश्वस्त है कि ऐसे निदेशक पर मुकदमा चलाना केवल एक

हाथ-मोड़ने की रणनीति, उच्च न्यायालय रद्द कर सकता है

कार्यवाही। यह दोहराया जाता है कि इस तरह के [2022] 9 एस. सी. आर. की स्थापना के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मुकदमा निर्विवाद, निर्विवाद साक्ष्य जो है

संदेह या संदेह से परे या कुछ पूरी तरह से स्वीकार्य

परिस्थितियों को उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाना होगा। ऐसे मामले बहुत कम हो सकते हैं लेकिन

इस तरह का मामला होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे साक्ष्य या परिस्थितियों के अभाव में, शिकायत

रद्द नहीं किया जा सकता है;
घ) संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय की शक्तियों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। उच्च न्यायालय हमेशा उपयोग करता है

और इस शक्ति का उपयोग संयम से और बड़े उत्साह के साथ करना चाहिए।

अन्य बातों के साथ-साथ न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए चौकसी। इस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा पालन किए जाने वाले कोई निश्चित सूत्र नहीं हैं और इस शक्ति का प्रयोग प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। उस स्तर पर उच्च न्यायालय एक छोटी सुनवाई या घूमती हुई जांच नहीं करता है, लेकिन कुछ भी इसे निर्विवाद साक्ष्य या पूरी तरह से स्वीकार्य परिस्थितियों को ध्यान में रखने से नहीं रोकता है जो इसे इस निष्कर्ष पर ले जा सकता है कि किसी भी परीक्षण की आवश्यकता नहीं है।

विशेष निदेशक "।

42. गुनमाला सेल्स प्राइवेट लिमिटेड (ऊपर) में दिए गए कानून के सिद्धांत और उक्ति, हमारी राय में, अभी भी इस क्षेत्र को धारण करते हैं और कानून की सही स्थिति को दर्शाते हैं।

43. हाथ में मामले में, हम न केवल शिकायत में बल्कि उन्हें जारी किए गए वैधानिक नोटिस में भी स्पष्ट और विशिष्ट कथन पाते हैं

उत्तरदाता। इस बात के विशिष्ट कथन हैं कि चेक प्रत्यर्थी की सहमति से और उसकी जानकारी में जारी किया गया था। हमारे विचार में, यह कथित अपराध के लिए प्रतिवादी पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त था। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रत्यर्थी का मामला कि चेक जारी करने के समय या अपराध करने के समय, वह किसी भी तरह से फर्म से संबंधित नहीं थी या वह फर्म के दिन-प्रतिदिन के मामलों के लिए प्रभारी या जिम्मेदार नहीं थी, इस संबंध में केवल गंजे दावे के आधार पर नहीं हो सकता है। वैसा नहीं है पर्याप्त है। अपने मामले को ठीक करने के लिए, यहाँ प्रतिवादी से निर्विवाद और निर्विवाद साक्ष्य का नेतृत्व करने की अपेक्षा की जाती है। प्रत्यर्थी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही को रद्द करने के लिए इस तरह का कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय के पास व्यावहारिक रूप से यह कहने का कोई कानूनी आधार नहीं था कि शिकायत में किए गए कथन एस. पी. मणि और मोहन डेयरी बनाम को दर्ज करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

DR.SNEHALATHA ELANGOVAN [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

एन. आई. अधिनियम की धारा 141 के आधार पर प्रत्यर्थी पर प्रत्यावर्ती दायित्व। 44. हम इस अपील की एक अलग कोण से भी जांच कर सकते हैं। यह विवाद में नहीं है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी द्वारा उसे दिए गए वैधानिक नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया था। वर्तमान प्रकार की कार्यवाहियों में, यह उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है जिसके लिए वैधानिक है।

एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत एक उपयुक्त सूचना देने के लिए नोटिस जारी किया जाता है।

जवाब दें। संबंधित व्यक्ति से अपना रुख स्पष्ट करने की अपेक्षा की जाती है। यदि संबंधित व्यक्ति के पास यह स्थापित करने के लिए कुछ निर्विवाद और निर्विवाद सामग्री है कि कंपनी/फर्म के मामलों में उसकी कोई भूमिका नहीं है, तो ऐसी सामग्री को आधार के रूप में नोटिस के जवाब में उजागर किया जाना चाहिए। यदि ऐसी कोई नींव रखी जाती है, तो शिकायतकर्ता की आंखों के सामने तस्वीर अधिक स्पष्ट होगी। शिकायतकर्ता को पता चल जाएगा कि जिस व्यक्ति को उसने नोटिस जारी किया है, वह क्यों कहता है कि वह चेक के अपमान के लिए जिम्मेदार नहीं है। हुआ था।

प्रतिवादी ने यहां इस बात पर प्रकाश डालते हुए उचित उत्तर दिया कि उसने हमारे सामने जो कुछ भी उजागर करना चाहा है, शायद शिकायतकर्ता ने आगे की जांच शुरू की होगी और यह पता लगाने की कोशिश की होगी कि अपराध होने की तारीख को फर्म की कानूनी स्थिति क्या थी और फर्म में प्रतिवादी की स्थिति क्या थी। का उद्देश्य

शिकायत दर्ज करने से पहले नोटिस का उद्देश्य केवल चेक लेने वाले को अपनी चूक को सुधारने का मौका देना नहीं है ताकि वह एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत अपने दायित्व के बारे में अपना रुख स्पष्ट कर सके।

45. एक बार जब भागीदारों के प्रत्यावर्ती दायित्व के संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा जारी वैधानिक नोटिस में आवश्यक अभिकथन किए जाते हैं और इस तरह के नोटिस की प्राप्ति पर, यदि भागीदार चुप रहता है और उसी के जवाब में कुछ नहीं कहता है, तो शिकायतकर्ता के पास यह मानने के सभी कारण हैं कि उसने नोटिस में जो कहा है उसे नोटिसकर्ता द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। ऐसी परिस्थितियों में शिकायतकर्ता से शिकायत में और क्या कहने की अपेक्षा की जाती है।

46. जब मूल अनुमान प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए जारी किया जाता है

शिकायत निदेशक या भागीदारों के खिलाफ आगे बढ़नी चाहिए, जैसा भी मामला हो। लेकिन, यदि कोई निदेशक या भागीदार चाहता है कि संहिता की धारा 482 के तहत इस आधार पर याचिका दायर करके प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाए कि शिकायत में केवल एक गंजा दावा किया गया है और वह वास्तव में चेक जारी करने से संबंधित नहीं है, तो उसे प्रक्रिया को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय को मनाने के लिए या तो कुछ स्टर्लिंग प्रस्तुत करना होगा।

उनके [2022] 9 एस. सी. आर. की पुष्टि करने के लिए निर्विवाद सामग्री या स्वीकार्य परिस्थितियाँ।

विवाद। उसे एक मामला बनाना चाहिए कि उसे मुकदमे में खड़ा करना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। वह शिकायत को केवल इस आधार पर रद्द नहीं करा सकता कि मूल कथन के अलावा उसकी भूमिका के बारे में शिकायत में कोई विवरण नहीं दिया गया है, क्योंकि आम तौर पर मूल कथन उसे मुकदमे में भेजने के लिए पर्याप्त होगा और यह तर्क दिया जा सकता है कि उसकी आगे की भूमिका को मुकदमे में सामने लाया जा सकता है। शिकायत को रद्द करना एक गंभीर मामला है। माँगने के लिए शिकायत को रद्द नहीं किया जा सकता है। शिकायत को रद्द करने के लिए, यह दिखाया जाना चाहिए कि निदेशक या भागीदार के खिलाफ कोई अपराध नहीं किया गया है।

47. हमारे अंतिम निष्कर्षों को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता हैः

शिकायतकर्ता की प्राथमिक जिम्मेदारी है

अ.)

शिकायत में विशिष्ट अभिकथन ताकि

अभियुक्त परोक्ष रूप से उत्तरदायी है। आपराधिक दायित्व को मजबूत करने के लिए, शिकायतकर्ता के लिए यह दिखाने की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है कि फर्म का आरोपी भागीदार प्रत्येक लेनदेन के बारे में जानता था। दूसरी ओर, अधिनियम की धारा 141 की उप-धारा (1) के पहले परंतुक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि अभियुक्त न्यायालय की संतुष्टि के लिए यह साबित करने में सक्षम है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने इस तरह के अपराध को रोकने के लिए उचित परिश्रम किया था, तो वह

दंडनीय।

ख.)

शिकायतकर्ता को केवल सामान्य रूप से पता होना चाहिए कि

जो कंपनी या फर्म के मामलों के प्रभारी थे, जैसा कि मामला हो सकता है। अन्य प्रशासनिक मामले कंपनी या फर्म के विशेष ज्ञान में होंगे।

प्रासंगिक समय पर वे कंपनी के मामलों के प्रभारी नहीं थे। धारा 138 और धारा का विज्ञापन 141 एन. आई. अधिनियम के क्रमशः यह दर्शाता है कि धारा 138 के तहत अपराध के अन्य तत्वों के संतुष्ट होने पर, भार निदेशक मंडल या आई. ए. एन. आई. और मोहन डेयरी v. में अधिकारियों पर है।

DR.SNEHALATHA ELANGOVAN [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

कंपनी/फर्म के भागीदारों के मामलों का प्रभार यह दिखाने के लिए कि वे दोषी ठहराए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं थे। किसी भी विशेष परिस्थिति का अस्तित्व जो उन्हें उत्तरदायी नहीं बनाता है कुछ ऐसा जो विशेष रूप से उनके ज्ञान में है और यह उनके लिए है कि वे मुकदमे में यह साबित करें कि प्रासंगिक समय पर वे कंपनी या फर्म के मामलों के प्रभारी नहीं थे।

कहने की जरूरत नहीं है कि अंतिम निर्णय और आदेश प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर निर्भर करेगा। आपराधिक दायित्व केवल उन लोगों पर आकर्षित होता है, जो अपराध के समय, फर्म के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी थे और जिम्मेदार थे। लेकिन प्रत्यावर्ती आपराधिक दायित्व कर सकते हैं

किसी फर्म के भागीदारों के खिलाफ अनुमान लगाया जाना चाहिए जब वह विशेष रूप से फर्म के भागीदारों की स्थिति के बारे में शिकायत में कहा गया है। यह उन्हें उत्तरदायी बना देगा

अभियोजन का सामना करें लेकिन यह स्वचालित रूप से नहीं होता है

दृढ़ विश्वास। इसलिए, यदि वे अंततः आवश्यक रूप से दोषी नहीं पाए जाते हैं, तो वे प्रतिकूल रूप से पूर्वाग्रहित नहीं होते हैं।

एकर परिणाम निर्दोष साबित होयत।

यदि कोई निदेशक चाहता है कि संहिता की धारा 482 के तहत इस आधार पर याचिका दायर करके प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाए कि शिकायत में केवल एक गंजा दावा किया गया है और वह वास्तव में चेक जारी करने से संबंधित नहीं है, तो उसे प्रक्रिया को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय को मनाने के लिए या तो कुछ निर्विवाद रूप से प्रस्तुत करना चाहिए।

उसकी पुष्टि करने के लिए सामग्री या स्वीकार्य परिस्थितियाँ उसका विवाद। उसे एक मामला बनाना चाहिए कि उसे मुकदमे में खड़ा करना प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

अदालत।

हम रैलिस इंडिया लिमिटेड बनाम के मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को दोहराते हैं। पोदुरु विद्या भूषण 11) 13 एस. सी. सी. 88, कि उच्च न्यायालय को आपराधिक कार्यवाही का उपयोग कैसे करना चाहिए, जब ऐसी कार्यवाही कंपनियों द्वारा की गई है। वाणिज्यिक दुनिया में कई अनूठी पेचीदगियां हैं, जिनमें से कई को वैधानिक रूप से विनियमित किया जाता है। विशेष रूप से, एन. आई. अधिनियम की धारा 141 में सिद्धांत (जो इसके साथ समान सामग्री है)

खाद्य सुरक्षा और मानक 668 जैसे अन्य अधिनियमों में प्रावधान

एक अधिनियम, 2006; पूर्ववर्ती खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम, 1954; आदि) बेईमान कंपनियों द्वारा बिना किसी संदेह के तीसरे पक्ष के नुकसान के लिए दुरुपयोग के लिए अतिसंवेदनशील है।

49. नतीजतन, यह अपील सफल हो जाती है और इसके साथ अनुमति दी जाती है

लागत के बारे में कोई आदेश नहीं। उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश बी को इसके द्वारा खारिज कर दिया गया है।

50. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा कर दिया जाता है।

बिभूति भूषण बोस (नेहा शर्मा, एलसीआरए द्वारा सहायता प्राप्त)